न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, जिला ब्यावर

पीठासीन अधिकारी :– **विकास सिंह चौधरी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
दीवानी वाद संख्या :– **78/2012** (51/2009, 03/2017)
सीआईएस संख्या :– **46322/2014**
सी.एन.आर. संख्याः– **RJBE010002092009**

1– श्री दिलीप कुमार पुत्र स्व. प्रभुदयाल, निवासी–7/107 नया नं 11. किशनगंज, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

2– श्रीमती कमलादेवी पुत्री स्व. प्रभुदयाल, पत्नी शंकरदेव, निवासी–के.बी.ए. कायाकल्प कॉलोनी, क्वीन्स रोड, जयपुर (मृतक)
जरिये विधिक वारिसान**(आदेश दिनांक 20.04.2023)–**

2/1 श्रीमती संगीता देवी पत्नी कुंजबिहारी शर्मा, पुत्री स्व. शंकरदेव, निवासी–68, रामपाल इंजीनियरिंग वर्क्स, जोबनेर बाग, मुकेश फैशन के पास, स्टेशन रोड, जयपुर।

2/2 श्री सतीष शर्मा पुत्र स्व. शंकरदेव, निवासी–बी–258 ए, 10 बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, मंदिर के पास, जयपुर।

2/3 श्री अनुज शर्मा पुत्र स्व. शंकरदेव, निवासी–एफ–402, वेगा ब्लॉक, स्टार सिटी, कालवार रोड, हातोज, जयपुर।

2/4 श्रीमती इंदू शर्मा पत्नी अमित शर्मा, पुत्री स्व. शंकरदेव, निवासी–जे.ए./2 बी, ऐल आई.जी. फ्लेटस, जी–8 ऐरिया, स्वर्ग आश्रम मंदिर के पास, हरि नगर, दिल्ली।

–– वादीगण

बनाम

1– श्री जगदीशप्रसाद पुत्र स्व. प्रभूदयाल, निवासी–252/8 गोविन्दराम जी का रास्ता चौथा चौराया भारतीय बाल विद्या मन्दिर, हरिशंकर तिवारी का मकान, जयपुर (मृतक) जरिये विधिक (आदेश दिनांक 21.05.2013)

1/क श्री हेमन्त शर्मा पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद शर्मा, निवासी–म.नं.51 बी गणेश नगर निवारू रोड जयपुर।

2– श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री स्व. प्रभुदयाल, पत्नी मूलचन्द, निवासी–तामरा चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला के सामने भजनगंज, अजमेर **(मृतक)**
जरिये विधिक वारिसान **(आदेश दिनांक 07.08.2019)–**

2/1 श्री किशनकुमार शर्मा पुत्र स्व. मूलचंद, निवासी–म.नं. 527/28 भजनगंज तामरा हाउस के पास अजमेर।

2/2 श्रीमती दुर्गेश नंदनी पत्नी सुदेश शर्मा, निवासी–मकान नं 52. नवजीवन सोसाइटी, आबू हाईवे, पालनपुर, गुजरात।

2/3 श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी राजेश शर्मा, निवासी–ब्लॉक नं 98 एफ, रेल्वे क्वाटर्स रेलवे स्टेशन विहान कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के पीछे, बारीवली, मुम्बई, महाराष्ट्र।

3– श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व. प्रभुदयाल, पत्नी वेदप्रकाश, निवासी–ए–169 गोविंद मार्ग महेश नगर, 80 फीट रोड़, जयपुर।

4– श्री पुरुषोत्तम पुत्र स्व. चुन्नीलाल जांगिड, निवासी–7/107 नया नं 11. किशनगंज, ब्यावर, जिला अजमेर **(मृतक)** जरिये विधिक वारिसान (आदेश दिनांक 21.05.2013)

4/क श्रीमती सरलादेवी पत्नी स्व. पुरुषोत्तम दास,

4/ख श्री मुकेश पुत्र स्व. पुरुषोत्तम दास,
निवासीगण–7/107 नया नं–11, किशनगंज आबकारी ऑफिस के पास, ब्यावर जिला अजमेर।

4/ग श्री राजेश पुत्र स्व. पुरुषोत्तम दास, निवासी–बी 40, कुसुम विहार जगतपुरा जयपुर।

4/घ श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी नरेश शर्मा पुत्री स्व. पुरुषोत्तम दास, निवासी–Z–P–3 कृष्णा कॉलोनी जिला परिषद रोड भरतपुर।

4/ड श्रीमती सरिता शर्मा पत्नी धनेष शर्मा, पुत्री स्व. पुरूषोतम दास, निवासी–W–Z–U 78–A, M.S. BLOCK हरिनगर, नई दिल्ली।

4/च श्रीमती अरुणा शर्मा पत्नी बाबूलाल शर्मा, पुत्री स्व. पुरुषोत्तम दास, निवासी–बी 9, कुसुम विहार जगतपुरा जयपुर।

5– श्री लक्ष्मीचन्द बालिग पुत्र स्व. चुन्नीलाल जांगिड, निवासी–7/107 नया नं 11, किशनगंज, ब्यावर जिला अजमेर, हाल शान्ति सदन, केसरगंज, अजमेर **(मृतक)** जरिए विधिक वारिसान–

5/1 श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी स्व. लक्ष्मीचंद, निवासी–प्लॉट न 493/28 हैण्ड पम्प के पास वाला मकान, गोवा कॉलोनी गैस डिपो के आगे, भजनगंज, ब्यावर, जिला अजमेर।

5/2 श्रीमती भारती शर्मा पत्नी देवेन्द्र, पुत्री स्व. लक्ष्मीचंद, निवासी–486/25, ओरियंटल बैंक शाखा चन्द्रवरदाई बिल्डिंग तारागढ़ लिंक रोड, अजमेर।**(मृतक)**

5/3 श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी विशाल दुबे, पुत्री स्व. लक्ष्मीचंद, निवासी–राधाकृष्ण मुरली मनोहर मंदिर बिल्डिंग परिसर, गली नं 2. बाबू मौहल्ला चौक, कैसरगंज, अजमेर।

5/4 सुश्री मुन्नी उर्फ हिमांशी, आयु लगभग 13 साल, नाबालिग जरिए अपने प्राकृतिक पिता श्री शिव, निवासी–आरा मशीन वाले, दीनदयाल उपाध्याय कालोनी, कृषि मंडी के पीछे, मेडता सिटी।

6– श्रीमती कौशल्यादेवी पुत्री स्व. चुन्नीलाल जांगिड, पत्नी ओमदत्त शर्मा, निवासी–सी. 44 विकासपुर नई दिल्ली **(मृतक)** जरिये विधिक वारिसान (आदेश दिनांक 07.08.2019)–

6/1 श्री अनिल शर्मा पुत्र ओमदत्त शर्मा, निवासी–सी–44 विकासपुरी न्यू दिल्ली।

6/2 श्रीमति मीनू शर्मा पुत्री ओमदत्त शर्मा, निवासी–सी–40 हरिनगर न्यू दिल्ली।

7– श्री भोलाराम शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, बहैसियत खुद व बहैसियत वारिस स्व. श्रीमती सन्नो देवी शर्मा सुपुत्री स्व. चुन्नीलाल जांगिड, पत्नी श्री भोलाराम चर्मा, निवासी–काठमंडी नारनौल जिला महेन्द्रगण (हरियाणा)

8– श्री ब्रहमदत्त शर्मा पुत्र मुरलीधर शर्मा, निवासी–काठमंडी नारनौल जिला महेन्द्रगण (हरियाणा)

9– श्रीमती बबली शर्मा उर्फ किरण शर्मा पुत्री ब्रहमदत्त वर्मा, पत्नी डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा, निवासी–मकान नं 29 विनायक खेम का कुआं, पाल रोड जोधपुर।

10– नीलू शर्मा उर्फ ऋषि पुत्र ब्रहमदत्त शर्मा, निवासी–काठमंडी, नारनौल जिला महेन्द्रगण, (हरियाणा)

11– श्रीमती शारदा शर्मा पुत्री ब्रहमदत्त शर्मा, पत्नी हरीयेन्द्र शर्मा, निवासी–सिविल हॉस्पिटल क्वाटर नं 4 टुहाना, (हरियाणा)

12– श्री रविदत्त पुत्र लक्ष्मीचंद शर्मा, निवासी–61 शांति सदन, केसरगंज, अजमेर।

13– श्री मनमोहन सिंह पुत्र दिलीप सिंह, निवासी–पुष्करगंज, सिख कॉलोनी, गली नं 01, मं.न. 06, ब्यावर।

14– उप पंजीयक, तहसील कार्यालय परिसर, ब्यावर।

15– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर।

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 01 सीपीसी
वास्ते घोषणा निरस्त करने बेचाननामा दि. 25.01.2008 व आदेशात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. **श्री सुनील कुमार जैन,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादीगण
2. **श्री राहुल जैन,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं–01
3. **श्री अतुल कुमार बंसल,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं–4, 9 से 12
4. **श्री गणपत राज भंडारी,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं–13
5. **राजकीय अधिवक्ता,** वास्ते प्रतिवादी सं–14 व 15
6. प्रतिवादी सं–2, 3, 5, 6, 7, 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

।। **नि र्ण य** ।। **दिनांकः– 24.07.2026**

(1) वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नगर परिषद, ब्यावर की सीमा में विद्यमान आबादी मौहल्ला, किशनगंज, माल गोदाम के सामने, मिल रोड़, ब्यावर में एक तीन मंजिला मकान जायदाद, जिसका पुराना नगर परिषद नंबर 7/107, नया नंबर 11, जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम, उत्तर में 45.6 फीट तथा दक्षिण में 49.6 फीट है, तथा उत्तर से दक्षिण पश्चिम में 90 फिट 09 इंच व उत्तर से दक्षिण पूर्व में 90.06 फीट है। इस जायदाद के पूर्व में दुर्गाप्रसाद जी का मकान पश्चिम में आम गली, किशनगंज, ब्यावर, उत्तर में आम रास्ता माल गोदाम, दक्षिण में दीगर की जायदाद है। उक्त जायदाद पक्षकारान की पुश्तैनी होकर अभी अविभाजित है, जिसका विधिवत बंटवारा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ है। उक्त जायदाद के खाली प्लॉट को वादीगण के दादा श्री बिरदीचन्द पुत्र गंगासहाय ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 15.10.1937 के जरिये श्री रामचंद्र पुत्र किशनलाल महाजन से खरीद किया था, जो बेचाननमा उप–पंजीयक कार्यालय, ब्यावर में रजिस्ट्री संख्या 814 बही नंबर 1 जिल्द संख्या 392 दिनांक 23.10.1937 को पंजीयन हो रखा है। बाद खरीद इस प्लॉट पर श्री बिरदीचंद्र जी ने तीन मंजिला मकान का निर्माण करवाया। श्री बिरदीचन्द व उनकी पत्नी के देहांत के पश्चात उनके दो पुत्र श्री चुन्नीलाल एवं प्रभुदयाल उक्त जायदाद के मालिक व काबिज हुए। श्री बिरदीचन्द के देहांत के पश्चात उनके परिवार का सजरा निम्नानुसार है, –

बिरदीचन्द (फौत)									
चुन्नीलाल (फौत) । पत्नी श्रीमती सुखदेवी (फौत) ।					प्रभुदयाल (फौत) । पत्नी श्रीमती विद्या देवी (फौत) ।				
कौशल्या देवी (पुत्री)	पुरुषोत्तम (पुत्र)	सरोज शर्मा (पुत्री)	लक्ष्मीचंद (पुत्र)	सन्नोदेवी (पुत्री)	शकुंतला देवी (पुत्री)	कमला देवी (पुत्री)	विमला देवी (पुत्री)	जगदीश प्रसाद (पुत्र)	दिलीप कुमार (पुत्र)
	ब्रहमदत्त (पति) बबली शर्मा (पुत्री)	नीलू शर्मा (पुत्र) शारदा शर्मा (पुत्री)		भोलाराम (पति)					

(2) इस प्रकार उक्त तीन मंजिला जायदाद में स्व० चुन्नीलाल का 1/2 तथा स्व० प्रभुदयाल का 1/2 हिस्सा था। स्व० चुन्नीलाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुखदेवी के निधन के बाद उनके पुत्र श्री पुरुषोत्तम, श्री लक्ष्मीचंद, पुत्रियाँ कौशल्या देवी, सन्नोदेवी एवं सरोज शर्मा तथा सन्नोदेवी के वारिस भोलाराम शर्मा एवं सरोज शर्मा के वारिस ब्रह्मदत्त शर्मा, बबली, नीलू एवं शारदा शर्मा उक्त आधे हिस्से के संयुक्त हकदार हुए। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 04 से 11 उक्त 1/2 हिस्से के मालिक हैं। शेष 1/2 हिस्सा स्व० प्रभुदयाल का था। उनके एवं श्रीमती विद्यादेवी के निधन के बाद उनकी पुत्रियाँ श्रीमती शकुंतला, श्रीमती कमला, श्रीमती विमला देवी तथा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद एवं श्री दिलीप कुमार उक्त हिस्से के मालिक बने। इस प्रकार वादग्रस्त अविभाजित जायदाद के 1/2 हिस्से के मालिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 हैं। सभी वारिस अपने–अपने परिवार सहित उक्त जायदाद में समायोजित होकर निवास करते रहे, किन्तु बाद में जायदाद के बंटवारे एवं हिस्सा–पांति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जबकि आज तक जायदाद का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ। दिनांक 26.10.2007 को प्रतिवादी पुरुषोत्तम एवं लक्ष्मीचंद ने स्टाम्पों पर कथित अवैध बंटवारा लिखकर हस्ताक्षर किए तथा वादी संख्या 01 श्री दिलीप कुमार से हस्ताक्षर करने को कहा। फोटोप्रति देखने पर बंटवारा विधिसम्मत नहीं पाया गया। विधिपूर्वक बंटवारा करने का आग्रह अस्वीकार होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने वाद संख्या 18/2008, "दिलीप कुमार व अन्य बनाम जगदीश प्रसाद व अन्य" दिनांक 29.01.2008 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, ब्यावर में प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन पत्र संख्या 11/2008 प्रस्तुत किया गया, जिसमें विवादित जायदाद का किसी प्रकार अंतरण न करने एवं यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश पारित हुआ। उक्त वाद वर्तमान में अपर जिला फास्ट ट्रैक संख्या 01, ब्यावर में विचाराधीन है। विभाजन वाद विचाराधीन होने की जानकारी होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 12, प्रतिवादी संख्या 05 के बहकावे में आकर कथित वसीयत दिनांक 19.12.1991 के आधार पर जायदाद के पूर्वी भाग, जिसका नाप पूर्व से पश्चिम 20 फीट 03 इंच, उत्तर से दक्षिण 53 फीट, कुल क्षेत्रफल 119.25 वर्गगज तथा जिसकी हदूद पूर्व में दुर्गाप्रसाद का मकान, पश्चिम में मिथ्या रूप से पुरुषोत्तम जी की जायदाद, उत्तर में आम रास्ता तथा दक्षिण में मिथ्या रूप से श्री जगदीश प्रसाद जी की जायदाद दर्शाई गई, को बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 एवं पंजीयन दिनांक 30.01.2008 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में बिना प्रतिफल अवैध रूप से बेचान कर कब्जा खुर्द–बुर्द कर दिया तथा उक्त भाग को गिरा दिया। प्रतिवादी संख्या 04, 05, 12 एवं 13 द्वारा ध्वस्त किए गए भाग में वादीगण का अविभाजित हक–हिस्सा होने से उन्हें आर्थिक क्षति हुई, जिसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व उक्त प्रतिवादियों पर है। प्रतिवादी संख्या 13 ने दिनांक 03.04.2009 को उक्त पूर्वी भाग पर

बिना प्लास्टर की लगभग 05 फीट ऊँची ईंटों की चारदीवारी भी निर्मित कर दी। प्रतिवादी संख्या 04 से 08 ने विभाजन वाद संख्या 18/2008 के जवाबदावे में श्रीमती सुखदेवी, श्री चुन्नीलाल एवं श्री प्रभुदयाल द्वारा वसीयत किए जाने तथा दिनांक 23.04.1957 को बाहमी विभाजन होकर लिखतम निष्पादित होने का अभिवचन किया, जिसकी जानकारी दिनांक 05.05.2008 को हुई। श्रीमती सुखदेवी, श्री चुन्नीलाल एवं श्री प्रभुदयाल को उक्त जायदाद के संबंध में वसीयत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, क्योंकि यह स्व० बिरदीचंद द्वारा खरीदी एवं निर्मित अविभाजित जायदाद थी, जिसके विरासतन मालिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 संयुक्त रूप से थे। दिनांक 23.04.1957 का कथित मेमोरेन्डम ऑफ बंटवारा भी फर्जी, अपंजीकृत एवं अवैध है। उसमें सभी संबंधित व्यक्ति पक्षकार नहीं हैं, सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण अंकित नहीं है तथा स्व० प्रभुदयाल के हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। दिनांक 27.01.2009 को सभी प्रतिवादियों को पंजीकृत डाक द्वारा पृथक–पृथक सूचना–पत्र भेजकर कथित अवैध वसीयत दिनांक 19.12.1991, कथित अवैध एवं फर्जी बंटवारा दिनांक 23.04.1957, बेचाननामा दिनांक 25.01.2008, पंजीयन दिनांक 30.01.2008 तथा जायदाद गिराने से हुई क्षति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं सूचित करने की मांग की गई तथा अन्यथा सक्षम दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई। सूचना–पत्र में प्रस्तावित वाद में दिलीप कुमार एवं कमला देवी को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 15 को प्रतिवादी बनाए जाने का उल्लेख था। सूचना–पत्र के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से यह वाद प्रस्तुत किया गया। बेचाननामा दिनांक 25.01.2008, जो 30.01.2008 को पंजीकृत हुआ, प्रारम्भ से ही शून्य एवं अप्रभावी है। उसके बने रहने से गंभीर क्षति एवं अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने की आशंका है। प्रतिवादी संख्या 04, 05, 12 एवं 13 ने उक्त बेचाननामे के आधार पर जायदाद को पुनः तृतीय व्यक्ति के पक्ष में बेचान करने, नामांतरण एवं कब्जा कराने, अन्य उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीयन कराने तथा ग्रीष्मकालीन न्यायालय अवकाश के दौरान उक्त पूर्वी भाग पर निर्माण कराने की धमकी भी दी। इससे वाद–वाहुल्यता बढ़ने, तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न होने तथा वादीगण को अपरीमित एवं अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। अंत में अनुतोष में बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 एवं पंजीयन दिनांक 30.01.2008 को शून्य एवं रद्द घोषित करने, प्रतिवादी संख्या 13 को उससे कोई अधिकार प्राप्त न होना घोषित करने, कथित वसीयत दिनांक 19.12.1991 एवं कथित अवैध, फर्जी एवं अपंजीकृत बंटवारा दिनांक 23.04.1957 को शून्य एवं अमान्य घोषित करने, प्रतिवादी संख्या 12 एवं 13 को वादीगण के वैध कब्जे, उपयोग एवं उपभोग में बाधा पहुँचाने, जायदाद का हस्तांतरण, रहन, बेचान, बख्शीश, भारयुक्त करने, दस्तावेज निष्पादित अथवा पंजीबद्ध कराने एवं नाम दर्ज कराने से स्थायी रूप से निषिद्ध करने, प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 को किसी प्रकार का पंजीयन अथवा अभिलेखीय परिवर्तन न करने का आदेश देने तथा यदि दौरान–वाद वादीगण के अधिकारों के प्रतिकूल कोई कार्यवाही हो तो आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा पूर्व स्थिति बहाल कराने की प्रार्थना की गई। साथ ही प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा दिनांक 03.04.2009 को पूर्वी भाग पर निर्मित बिना प्लास्टर की लगभग 05 फीट ऊँची ईंटों की चारदीवारी हटाकर दिनांक 03.04.2009 से पूर्व की स्थिति पुनः स्थापित कराने का भी निवेदन किया गया।

(3) जिसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जवाब वादपत्र पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण ने जायदाद का नाप, सीमाएँ एवं म्यूनिसिपल नम्बर सही अंकित न होने के कारण वाद को खारिज योग्य बताया। वादग्रस्त जायदाद को अविभाजित न मानते हुए कहा कि स्व० चुन्नीलाल एवं स्व० प्रभुदयाल ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौते, आपसी सहमति एवं बाहमी बंटवारे से जायदाद का विभाजन कर लिखतम निष्पादित की तथा दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जायदाद दो स्वतंत्र भागों में विभाजित हो गई तथा दोनों के नगर परिषद नम्बर एवं गृहकर भी अलग–अलग हो गए। प्रतिवादीगण की जायदाद का नम्बर 8/11(1), मालगोदाम मार्ग, ब्यावर है। बंटवारे में सड़क से लगा उत्तरी भाग, जिसका नाप उत्तर से दक्षिण लगभग 40 फीट तथा पूर्व से पश्चिम उत्तर की ओर लगभग 45 फीट 06 इंच था, स्व० चुन्नीलाल के हिस्से में तथा दक्षिणी भाग, जिसका नाप उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 37 फीट 06 इंच, पश्चिम की ओर लगभग 37 फीट 09 इंच एवं पूर्व से पश्चिम दक्षिणी ओर लगभग 49 फीट 06 इंच था, स्व० प्रभुदयाल के हिस्से में आया। दोनों अपने–अपने हिस्से पर स्वतंत्र मालिक एवं स्वामी के रूप में काबिज हो गए। बंटवारे के अनुसार धरातल से तीसरी मंजिल तक दीवार बनाकर दोनों हिस्से अलग कर दिए गए। चुन्नीलाल के हिस्से का प्रवेश मालगोदाम मार्ग की ओर तथा प्रभुदयाल के हिस्से का प्रवेश किशनगंज गली नम्बर 01 की ओर हो गया और दोनों भागों के बीच कोई रास्ता या गेट नहीं रहा। इसके बाद किसी ने कोई आपत्ति नहीं की तथा दोनों परिवार अपने–अपने हिस्से में निवास करते रहे। बाद में दोनों के वारिसों के मध्य भी विभाजन हो गया तथा चारों भागों को नगर परिषद, ब्यावर द्वारा अलग–अलग मकान नम्बर आवंटित कर पृथक गृहकर वसूला जाने लगा। स्व० चुन्नीलाल ने अपने हिस्से की जायदाद अपनी पत्नी स्व० श्रीमती सुखदेवी को दी, जिसे अन्य वारिसों ने स्वीकार किया। स्व० चुन्नीलाल के निधन दिनांक 08.03.1972 के बाद श्रीमती सुखदेवी मालिक बनीं। उन्होंने अपनी जायदाद का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 द्वारा पश्चिमी आधा भाग प्रतिवादी पुरुषोत्तम तथा पूर्वी आधा भाग रविदत्त पुत्र लक्ष्मीचंद के नाम कर दिया। श्रीमती सुखदेवी के निधन दिनांक 23.09.1992 के बाद दोनों अपने–अपने हिस्से के मालिक बन गए। इन दोनों भागों को भी पृथक मकान नम्बर आवंटित हुए, अलग–अलग गृहकर वसूला जाने लगा तथा दोनों स्वतंत्र जायदाद बन गईं। रविदत्त पुत्र लक्ष्मीचंद ने वसीयत से प्राप्त जायदाद में से 20 फीट 03 इंच चौड़ा (पूर्व से पश्चिम) एवं 53 फीट लंबा भाग पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.01.2008 द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में तथा शेष 02 फीट 06 इंच चौड़ा एवं 53 फीट लंबा भाग पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.01.2008 द्वारा प्रतिवादी पुरुषोत्तमदास के पक्ष में विक्रय कर दिया। दोनों क्रेताओं को भौतिक कब्जा दे दिया गया और वे अपने–अपने हिस्से के मालिक बन गए। उक्त विक्रय की जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से थी, क्योंकि विक्रय की गई जायदाद उनकी जायदाद से लगी हुई थी। खरीददारों द्वारा जायदाद तोड़कर नया निर्माण भी कराया गया, जिस पर वादीगण ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए उन्होंने अपने अधिकार वेव कर दिए। सन् 1957 के बंटवारे के बाद स्व० प्रभुदयाल अपने हिस्से के एकमात्र स्वामी थे तथा उन्हें अपनी जायदाद हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने म्यूनिसिपल मकान नम्बर 01, गली नम्बर 01, किशनगंज, ब्यावर स्थित अपनी जायदाद का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक

17.08.1990 निष्पादित कर पूर्वी (पिछला) भाग प्रतिवादी जगदीश प्रसाद तथा पश्चिमी (आगे का) भाग वादी दिलीप कुमार के पक्ष में किया तथा ग्राउण्ड फ्लोर के पोल, चौक एवं नाल का संयुक्त स्वामी दोनों को घोषित किया। इसके बाद दोनों ने अपने–अपने हिस्से को पृथक स्वतंत्र जायदाद के रूप में अलग कर लिया। वादी दिलीप कुमार ने अपने हिस्से के आधार पर बैंक से ऋण भी प्राप्त किया। संयुक्त रूप से निवास करने, विवाह एवं मरण के कार्य साथ करने का कथन सही नहीं है, क्योंकि जायदाद का बंटवारा पहले ही हो चुका था और सभी अपने–अपने हिस्से में निवास करते रहे। दिनांक 26.10.2007 के कथित बंटवारे की जानकारी नहीं है। एक बार बंटवारा हो जाने के बाद पुनः बंटवारे का प्रश्न नहीं उठता। वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 एवं बंटवारानामा दिनांक 23.04.1957 को निरस्त कराने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए केवल अवैध कह देने से दस्तावेज अवैध नहीं हो जाते। वाद एवं न्यायालयीन आदेश की जानकारी बेचाननामा निष्पादित होने से पूर्व नहीं थी। बेचाननामा पहले ही निष्पादित हो चुका था और श्री रविदत्त शर्मा ने अपने अधिकार से उसका निष्पादन किया था, इसलिए उसे अवैध या प्रभावशून्य घोषित नहीं किया जा सकता। बेचाननामा दीवार बनाकर पंजीकृत कराया गया तथा दीवार भी अपने अधिकार में बनाई गई। बंटवारानामा तथा श्रीमती सुखदेवी एवं स्व० प्रभुदयाल की वसीयतों की जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से थी। वादी दिलीप कुमार वसीयत एवं बंटवारे से प्राप्त हिस्से पर निर्माण कर निवास कर रहे हैं तथा उसी आधार पर बैंक से ऋण भी प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 27.01.2009 का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 25.01.2008 को प्रतिवादी के पक्ष में कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं हुआ, इसलिए वादीगण को उसे निरस्त एवं प्रभावशून्य घोषित कराने का अधिकार नहीं है। अंत में वाद सव्यय खारिज करने का निवेदन किया गया।

(4) प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 12 की ओर से जवाब वादपत्र पेश कर कथन किया गया कि जायदाद का नाप, सीमाएँ एवं म्यूनिसिपल नम्बर सही अंकित नहीं किया गया तथा वर्णित जायदाद अविभाजित रूप में विद्यमान नहीं है। स्व. श्री बिरदीचंद जी पुत्र श्री गंगासहाय जी ने पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1937 द्वारा पूर्व से पश्चिम उत्तरी ओर 45 फुट 06 इंच, दक्षिणी ओर 49 फुट 06 इंच तथा उत्तर से दक्षिण पूर्वी एवं पश्चिमी ओर 77 फुट 06 इंच नाप का भूखण्ड क्रय कर नगर परिषद, ब्यावर की अनुमति से रिहायशी मकान बनवाया। निर्माण में स्व. चुन्नीलाल जी, जो उस समय रेलवे में नौकरी करते थे, ने अपनी निजी आय की धनराशि लगाई, क्योंकि उस समय स्व. प्रभुदयाल जी नाबालिग थे तथा उनकी कोई आय नहीं थी। इसलिए जायदाद का नाप उत्तर से दक्षिण 90 फुट से अधिक बताया जाना गलत है। स्वयं पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.10.1937 में भी यही नाप अंकित है। खरीदशुदा जायदाद से अधिक नाप का कोई आधार नहीं है। वाद संख्या 18/2008 लंबित होने से वर्तमान वाद की कार्यवाही स्थगित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा नगर परिषद, ब्यावर से खरीदी गई 13.6 फुट × 22.6 फुट नजूल भूमि को भी जायदाद में जोड़कर नाप दर्शाया गया है। स्व. चुन्नीलाल जी एवं स्व. प्रभुदयाल जी ने अपने जीवनकाल में पारिवारिक समझौते एवं बाहमी बंटवारे द्वारा जायदाद विभाजित कर ली तथा लिखतम निष्पादित कर उस पर हस्ताक्षर किए। सन् 1957 से जायदाद दो स्वतंत्र भागों में विद्यमान है। सड़क से लगा उत्तरी भाग, जिसका नाप उत्तर से

दक्षिण लगभग 40 फुट तथा पूर्व से पश्चिम उत्तरी ओर लगभग 45 फुट 06 इंच था, जिसमें प्रथम मंजिल पर 02 कमरे, 02 कमरे, गैलेरी, चौक, 03 रसोई, लैटरीन, बाथरूम एवं नाल, दूसरी मंजिल पर 03 रसोई, रोस (छज्ञा), लैटरीन एवं बाथरूम तथा तीसरी मंजिल पर 01 रसोई थी, स्व. चुन्नीलाल जी के हिस्से में आया। दक्षिणी भाग, जिसका नाप उत्तर से दक्षिण पूर्वी ओर लगभग 37 फुट 06 इंच, पश्चिमी ओर 37 फुट 09 इंच तथा पूर्व से पश्चिम दक्षिणी ओर लगभग 49 फुट 06 इंच था, जिसमें प्रथम मंजिल पर तिबारी, 04 कमरे, नोहरा, पोल, 01 कोठड़ी, लैटरीन एवं बाथरूम, दूसरी मंजिल पर तिबारी, 04 कमरे, नोहरे के ऊपर कमरा, रसोई, बरामदा एवं बाथरूम तथा तीसरी मंजिल पर 01 बड़ा कमरा था, स्व. प्रभुदयाल जी के हिस्से में आया। दोनों अपने–अपने हिस्से के स्वतंत्र मालिक बने। धरातल से तीसरी मंजिल तक दीवार बनाकर दोनों भाग अलग कर दिए गए। उत्तरी भाग का प्रवेश मालगोदाम मार्ग तथा दक्षिणी भाग का प्रवेश किशनगंज गली नम्बर 01 की ओर हो गया और दोनों भागों के बीच कोई प्रवेश–द्वार नहीं रहा। बाद में दोनों के वारिसों में भी विभाजन हो गया तथा चारों भागों को नगर परिषद, ब्यावर द्वारा पृथक मकान नम्बर देकर अलग–अलग गृहकर वसूला जाने लगा। स्व. बिरदीचंद जी द्वारा अकेले निर्माण कराया जाना सही नहीं है। निर्माण में स्व. चुन्नीलाल जी की भी धनराशि लगी थी। स्व. बिरदीचंद जी एवं उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद केवल स्व. चुन्नीलाल जी एवं स्व. प्रभुदयाल जी ही सम्पत्ति के वारिस एवं मालिक बने और उन्होंने सम्पत्ति का विभाजन कर लिया। स्व. चुन्नीलाल जी की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की सम्पत्ति के विधिक वारिस तथा स्व. प्रभुदयाल जी की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की सम्पत्ति के विधिक वारिस मालिक बने। स्व. चुन्नीलाल जी एवं स्व. प्रभुदयाल जी के जीवित रहते अन्य वारिसों को स्व. बिरदीचंद जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। स्व. चुन्नीलाल जी के जीवनकाल में ही जायदाद अलग अस्तित्व वाली स्वतंत्र जायदाद बन चुकी थी। उन्होंने अपनी पत्नी स्व. श्रीमती सुखदेवी को अपने हिस्से की जायदाद का वारिस घोषित किया, जिसे अन्य वारिसों ने स्वीकार किया। दिनांक 08.03.1972 को स्व. चुन्नीलाल जी के निधन के बाद श्रीमती सुखदेवी एकमात्र मालिक बनीं। उन्होंने पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 द्वारा पश्चिमी आधा भाग प्रतिवादी पुरुषोत्तम तथा पूर्वी आधा भाग प्रतिवादी रविदत्त पुत्र प्रतिवादी लक्ष्मीचंद के पक्ष में वसीयत किया। दिनांक 23.09.1992 को श्रीमती सुखदेवी के निधन के बाद दोनों अपने–अपने हिस्से के मालिक बने। नगर परिषद, ब्यावर द्वारा दोनों भागों को पृथक मकान नम्बर दिए गए तथा पृथक गृहकर वसूला जाने लगा। दोनों हिस्सों के अलग–अलग प्रवेश–द्वार हैं तथा एक भाग से दूसरे भाग में आने–जाने का कोई साधन नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 श्री रविदत्त पुत्र प्रतिवादी लक्ष्मीचंद ने पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 से प्राप्त जायदाद में से 20 फुट 03 इंच × 53 फुट भाग पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.01.2008 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 श्री मनमोहनसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंह को तथा शेष 02 फुट 06 इंच × 53 फुट भाग पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.02.2008 द्वारा प्रतिवादी पुरुषोत्तमदास को विक्रय कर दिया। दोनों को भौतिक कब्जा भी सौंप दिया गया तथा वे अपने–अपने खरीदशुदा भाग पर मालिक एवं स्वामी बन गए। विक्रय की गई जायदाद वादीगण की जायदाद से सटी हुई थी, इसलिए इसकी जानकारी उन्हें प्रारम्भ से थी। प्रतिवादी संख्या 13 श्री मनमोहनसिंह ने खरीद के बाद जायदाद ध्वस्त

कर उसे भूखण्ड का रूप दे दिया तथा केवल सतही मंजिल पर दक्षिणी भाग की एक कोठड़ीनुमा रसोई शेष रही। स्व. चुन्नीलाल जी की जायदाद में उनके अन्य वारिसों का कोई हक–अधिकार शेष नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 04 पुरुषोत्तम ने अपनी जायदाद से लगी 13.6 फुट × 22.6 फुट नजूल भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.06.1998 द्वारा नगर परिषद, ब्यावर से क्रय कर उस पर स्वीकृति प्राप्त कर दुकानें बनवाईं तथा मृत्यु तक उसी पर काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिस काबिज हैं। उक्त नजूल भूमि को संयुक्त जायदाद में शामिल किया जाना सही नहीं है। स्व. प्रभुदयाल जी अपने हिस्से में आये दक्षिणी भाग के एकाकी स्वामी थे तथा उन्हें उसे भारयुक्त एवं हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार था। उन्होंने म्यूनिसिपल मकान संख्या 01, गली संख्या 01, किशनगंज, ब्यावर स्थित अपनी जायदाद का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.08.1990 निष्पादित कर पूर्वी (पिछला) भाग अपने बड़े पुत्र प्रतिवादी जगदीश प्रसाद तथा पश्चिमी (आगे का) भाग अपने छोटे पुत्र वादी दिलीप कुमार के पक्ष में वसीयत किया। साथ ही पश्चिमी भाग के ग्राउण्ड फ्लोर स्थित पोल, चौक एवं नाल का संयुक्त स्वामी प्रतिवादी जगदीश प्रसाद एवं वादी दिलीप कुमार को घोषित किया। इसी दिन तैयार मानचित्र में दोनों के हिस्से पृथक दर्शाए गए तथा उस पर वादी दिलीप कुमार, प्रतिवादी जगदीश प्रसाद एवं स्व. प्रभुदयाल जी ने हस्ताक्षर किए। स्व. प्रभुदयाल जी की मृत्यु के बाद पंजीकृत वसीयतनामा एवं मानचित्र के अनुसार दोनों अपने–अपने हिस्से के स्वतंत्र मालिक बन गए। मौके पर अब चार अलग–अलग जायदादें विद्यमान हैं, कोई अविभाजित जायदाद नहीं है। स्व. प्रभुदयाल जी की जायदाद, म्यूनिसिपल मकान संख्या 01, गली संख्या 01, किशनगंज, ब्यावर में वादी संख्या 02 तथा प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का कोई हक–हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 रविदत्त द्वारा विक्रय की जा चुकी जायदाद में भी स्व. प्रभुदयाल जी के किसी वारिस का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ। वादी दिलीप कुमार अपने हिस्से में "डी.के. इंजीनियरिंग" के नाम से वेल्डिंग एवं लैथ मशीन का कार्य करते हुए बहैसियत मालिक काबिज हैं। स्व. प्रभुदयाल जी की सम्पत्ति में उनकी तीनों पुत्रियों, वादी संख्या 02 श्रीमती कमला तथा प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 का कोई हक–अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ। वसीयतनामा के आधार पर केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ही स्व. प्रभुदयाल जी की सम्पत्ति के मालिक एवं वारिस हुए। विभाजन स्वीकार कर सभी पक्षकार वर्षों से अलग–अलग जायदादों के रूप में व्यवहार करते रहे हैं। 54 वर्षों बाद विभाजित जायदादों को पुनः संयुक्त बताकर विभाजन चाहना पूर्व आचरण के विपरीत है तथा एक बार विभाजित जायदाद का पुनः विभाजन विधिक रूप से संभव नहीं है। दिनांक 26.10.2007 को प्रतिवादी पुरुषोत्तम एवं प्रतिवादी लक्ष्मीचंद द्वारा किसी प्रकार का कोई बंटवारानामा निष्पादित नहीं किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी एवं कूटरचित है। कोई फोटोप्रति देने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता। वादी संख्या 02 का कोई हक–हिस्सा नहीं होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा जायदाद का पूर्ण बंटवारा हो जाने से वादी संख्या 01 को भी वर्तमान वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी पुरुषोत्तम द्वारा वादीगण को किसी बंटवारानामे पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया तथा न ही वादी दिलीप कुमार ने प्रतिवादी पुरुषोत्तम से जायदाद का बंटवारा करने का निवेदन किया। श्रीमती सुखदेवी द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 पूर्णतया वैध है तथा स्व. चुन्नीलाल

जी के सभी वारिस उसे स्वीकार कर चुके हैं। वादीगण स्व. चुन्नीलाल जी के वारिस नहीं हैं, इसलिए उन्हें उक्त वसीयतनामा को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 12 श्री रविदत्त द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 25.01.2008 पूर्णतया वैध, विधिक प्रक्रिया के अनुसार एवं प्रतिफल सहित निष्पादित दस्तावेज है। प्रतिवादी संख्या 13 प्रतिफल देकर खरीदी गई सम्पत्ति का मालिक एवं स्वामी है। विक्रय विलेख में वर्णित सीमाएँ सही एवं मौके पर विद्यमान हैं। प्रतिवादी संख्या 13 को अपनी खरीदशुदा जायदाद का उपयोग, उपभोग एवं हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार है। विक्रय विलेख के समय स्व. पुरुषोत्तम जी, प्रतिवादी संख्या 12 रविदत्त एवं प्रतिवादी संख्या 13 को बंटवारे के वाद की जानकारी नहीं थी। एक ओर विक्रय विलेख बिना प्रतिफल का बताया गया है तथा दूसरी ओर आर्थिक हानि का कथन किया गया है, जिससे कथनों में विरोधाभास है। जायदाद का जो भाग ध्वस्त किया गया, वह प्रतिवादी श्री रविदत्त तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 13 की मिल्कियत था। प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा खरीद के बाद अपनी जायदाद की सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण कराया गया। वाद संख्या 18/2008 में किए गए कथन सही हैं तथा वादीगण को इन तथ्यों एवं दस्तावेजों की प्रारम्भ से जानकारी थी। श्रीमती सुखदेवी को वसीयतनामा दिनांक 19.12.1991 निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था। उक्त वसीयत स्व. चुन्नीलाल जी एवं श्रीमती सुखदेवी के वारिसों को स्वीकार है तथा वादीगण को इस संबंध में कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मेमोरेण्डम ऑफ पार्टिशन को अपंजीकृत एवं अवैध कहना सही नहीं है। बाहमी बंटवारे की याददाश्त के रूप में लिखतम तैयार की गई थी तथा उसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उसी के अनुसार जायदाद का विभाजन होकर अलग–अलग भाग अस्तित्व में आ चुके हैं। प्रभुदयाल जी ने उक्त दस्तावेज पर सहमति से हस्ताक्षर किए, जिसकी पुष्टि उनके पंजीकृत वसीयतनामा से होती है। दिनांक 25.01.2008 का पंजीकृत विक्रय विलेख विधिसम्मत दस्तावेज है। कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। वादीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त विक्रय विलेख किस आधार पर अवैध है और उसे रद्द कराने का अधिकार उन्हें किस आधार पर प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 13 अपनी खरीदशुदा जायदाद पर काबिज है तथा उसे उसके उपयोग, उपभोग, भारयुक्त एवं हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है। किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई। वाद संख्या 18/2008 में पूर्व से ही यथास्थिति का आदेश पारित है, इसलिए पृथक स्थगन आदेश की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 की जायदाद में वादीगण का कोई हक–अधिकार नहीं है, न प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में है और न ही अपूरणीय क्षति की संभावना है। धारा 80 जाब्ता दीवानी के अनुरूप विधिसम्मत नोटिस भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अंत में वाद सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

(5) पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिंदु न्यायालय द्वारा विरचित किये गएः–

1. आया वादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि वादग्रस्त जायदाद अविभाजित होने से प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 (पंजीकृत

दिनांक 30.01.2008) प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है, इस कारण वादीगण उसे रद्द व निरस्त कराने के अधिकारी हैं ?

–– वादीगण

2. आया वसीयत दिनांक 19.12.1991 अवैध, फर्जी व अनरजिस्टर्ड होने से उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 12, 04 व 13 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं ?

––वादीगण

3. आया वादीगण वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

––वादीगण

4. आया वादग्रस्त जायदाद स्व. चुन्नीलाल एवं स्व. प्रभुदयाल के समय से ही बंटवारानामा दिनांक 23.04.1957 के अनुसार विभाजित चली आ रही है ?

––प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद में प्रतिवादी संख्या 04 की खरीदशुदा नजूल भूमि को भी अवैध रूप से सम्मिलित कर लिया गया है, जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है ?

––प्रतिवादीगण

6. अनुतोष ?

नोटः– विवाद्यक संख्या 01 की विरचना के दौरान सहवन से प्रतिवादी संख्या 13 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 04 अंकित कर दिया गया, जिसे आज दिनांक 24.07.2026 को दुरुस्त किया गया।

(6) वादी साक्ष्य में स्वयं वादी पी.डब्ल्यू 01 दिलीप कुमार ने न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गएः–

प्रदर्श	**दस्तावेज का नाम**
प्रदर्श–1 ए	Compared फोटोप्रति पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 15.10.1937
प्रदर्श–2 ए	प्रदर्श–1 ए का हिन्दी अनुवाद
प्रदर्श–3	आवेदन पत्र दिनांक 14/19.11.1944 की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श–4	इकरारनामा दिनांक 07.06.1932 की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श–5	वादपत्र सं. 18/08 की प्रमाणित आदेशिका
प्रदर्श–6	वादपत्र सं. 18/08 (71/09)(79/12) की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श–7	प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 03 के जवाब की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–8	प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 के जवाब की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–9	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसीकी प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–10	जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–11	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सीपीसी की प्रमाणित प्रति

प्रदर्श–12	जवाब उल जवाब की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–13	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–14 व 15	दस्तावेज सूची की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–16	दि.वि.प्रा.सं 11/08 की आदेशिका की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–17	दि.वि.प्रा.सं. 11/08 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–18 व 19	जवाब प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–20	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–21	जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–22	प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–23	जवाब उल जवाब की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श–24	बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श–25	नोटिस दिनांक 27.01.2008 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श–26 से 40	पोस्टल रसीद
प्रदर्श–41 से 51	नोटिस की प्राप्ति स्वीकृति रसीद
प्रदर्श–52 से 55	पोस्ट ऑफिस ब्यावर को दिए गए नोटिस की प्रतियां
प्रदर्श–56 से 57	पोस्ट ऑफिस ब्यावर की ट्रैकिंग रिपोर्ट

(7) प्रतिवादी साक्ष्य में डी.डब्ल्यू 01 मनमोहन सिंह शर्मा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

(8) बहस उभयपक्षीय सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों का पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के संबंध में गहनता से विचार किया गया तथा सुसंगत विधि का भी अध्ययन किया गया।

(9) विवाद्यक वार न्यायालय का विनिश्चय निम्नलिखित हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>

1. आया वादीगण इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि वादग्रस्त जायदाद अविभाजित होने से प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 (पंजीकृत दिनांक 30.01.2008) प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है, इस कारण वादीगण उसे रद्द व निरस्त कराने के अधिकारी हैं ?

–– वादीगण

(10) उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर था, जिसके तहत उन्हें यह साबित करना था कि वादग्रस्त जायदाद अविभाजित है, इस कारण प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 25.01.2008

अवैध व शून्य है। इसे साबित करने के लिए वादी पक्ष की ओर से दिलीप कुमार पी.डब्ल्यू 01 के रूप में उपस्थित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अभिवचनों के अनुरूप कथन किए हैं। प्रतिपरीक्षण में गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि मनमोहन ने पैसे देकर ही जायदाद खरीद की थी। इस कथन को गलत बताया कि दिनांक 19.12.1991 को सुखदेवी पत्नी चुन्नीलाल ने रविदत्त के पक्ष में एक वसीयतनामा लिखा हो। वह उक्त जायदाद के पश्चिमी हिस्से में निवास कर रहा है। जायदाद के पश्चिमी भाग में जो उसके कब्जे में है, उसमें वह बचपन से निवास कर रहा है। उसके भाई जगदीश का वादग्रस्त जायदाद के दक्षिण–पूर्व हिस्से पर कब्जा है। यह सही है कि श्रीमती सुखदेवी द्वारा उक्त जायदाद वसीयत करने के पश्चात श्रीमती कौशल्या, पुरुषोत्तम, सरोज शर्मा, लक्ष्मीचंद और सन्नों देवी ने बंटवारे के लिए कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। यह सही बताया कि रविदत्त लक्ष्मीचंद जी का पुत्र है। यह सही बताया कि उसने जो चार हिस्से अलग–अलग बताए, वह जायदाद के चाल अलग–अलग कोने हैं। यह भी सही बताया कि मनमोहन सिंह ने जब से खरीद किया है, जब से उसी के कब्जे में चला आ रहा है। रविदत्त ने जो जायदाद बेचान की, वो रविदत्त की थी ही नहीं, वसीयत नकली और फर्जी थी। गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि उसके जन्म के पहले से ही चुन्नीलाल जी व प्रभुदयाल जी अलग–अलग निवास करते थे। चुन्नीलाल जी उत्तर की तरफ निवास करते थे, और प्रभुदयाल जी दक्षिण की तरफ निवास करते थे। एडजेस्टमेंट के आधार पर अलग–अलग निवास कर रहे थे। दोनों भाई चुन्नीलाल व प्रभुदयाल जी ने आपस में मौखिक रूप से यह तय किया कि तू उत्तर के हिससे में रह ले और मैं दक्षिण के हिस्से में रह लेता हूं। यह जो हिस्सा अलग–अलग रहने का किया था, वह राजीखुशी किया था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि चुन्नीलाल जी के हिस्से के जायदाद नंबर 8/11 (1) माल गोदाम मार्ग, ब्यावर हो गया हो। चुन्नीलाल जी वाले हिस्से वाली जायदाद का नाप 53 फीट गुणा 22.6 फीट है। प्रभुदयाल जी वाले हिस्से का नाप 37.6 फीट गुणा 45 फीट है। चुन्नीलाल जी व प्रभुदयाल जी के बीच बंटवारे को लेकर लिखतम हुई हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। वर्ष 1960 से चुन्नीलाल जी व प्रभुदयाल जी का खाना–पीना, रहना, राशन कार्ड सभी अलग–अलग हैं।

(11) दस्तावेजी साक्ष्य में वादी पक्ष की ओर से प्रदर्श–6 दीवानी वाद संख्या 18/08 का वादपत्र, जिसके प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का जवाब दावा प्रदर्श–7 एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 06 का जवाब दावा प्रदर्श–8 है। प्रदर्श–12 जवाब–उल–जवाब वाद संख्या 18/08 एवं प्रदर्श–16 उक्त वाद की आदेशिकाएं इत्यादि प्रस्तुत किए गए।

(12) न्यायालय हाजा में वाद संख्या 18/2008 अजनाम दिलीप कुमार बनाम जगदीश प्रसाद, स्व. बिरदीचंद के वारिसान स्व. चुन्नीलाल एवं प्रभुदयाल के वारिसान के मध्य वाद प्रस्तुत रहा था, जिसका वादी हस्तगत वाद का वादी ही रहा है और उस वाद में प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावा, जवाब–उल–जवाब एवं आदेशिकांए इत्यादि इस प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। प्रश्नगत संपत्ति को संयुक्त एवं अविभाजित साबित करने का भार वादी पर था। किंतु इस न्यायालय द्वारा उक्त संख्या 18/2008 में यह तथ्य वादी के विरुद्ध तय पाया है कि प्रश्नगत संपत्ति पक्षकारों के मध्य संयुक्त एवं अविभाजित नहीं रही थी।

(13) ऐसी स्थिति में हस्तगत विवाद्यक, जिसका मूल आधार प्रश्नगत संपत्ति के संयुक्त एवं अविभाजित होने के तथ्य को साबित करना है, वह वादी वाद संख्या 18/2008 में साबित नहीं कर सका है। अतः यह विवाद्यक संख्या 01 वादी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02

2. आया वसीयत दिनांक 19.12.1991 अवैध, फर्जी व अनरजिस्टर्ड होने से उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 12, 04 व 13 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं ?

––वादीगण

(14) इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था। जिसके संबंध में मात्र मौखिक अभिवाक् लिए गए हैं। वादी द्वारा यह वसीयत इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु वाद संख्या 18/2008 में प्रतिवादी द्वारा यह वसीयत प्रदर्श ए–2 के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में यहां यह लिखना उचित होगा कि वाद संख्या 18/2008 में वादी यह वसीयत अवैध व मिथ्या रही हो, यह साबित नहीं कर सका है। अतः यह विवाद्यक संख्या 02 वादी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03

3. आया वादीगण वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

––वादीगण

(15) उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादीगण पर था, चूंकि विवाद्यक सं–01 व 02 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं, अतः इस आधार पर विवाद्यक संख्या 03 वादीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04 व 05

4. आया वादग्रस्त जायदाद स्व. चुन्नीलाल एवं स्व. प्रभुदयाल के समय से ही बंटवारानामा दिनांक 23.04.1957 के अनुसार विभाजित चली आ रही है ?

––प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद में प्रतिवादी संख्या 04 की खरीदशुदा नजूल भूमि को भी अवैध रूप से सम्मिलित कर लिया गया है, जिसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है ?

––प्रतिवादीगण

(16) उक्त विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विवाद्यक संख्या 04 के संबंध में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई लिखित बंटवारानामा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया, ना ही साबित किया जा सका है। इसी प्रकार विवाद्यक संख्या 05 के संबंध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई सक्षम साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इसलिए यह दोनों विवाद्यक संख्या 04 व 05 प्रतिवादीगण के विरुद्ध विनिश्चित किए जाते हैं।

अनुतोष–

(17) उपरोक्त विवेचनानुसार में वादीगण विवाद्यक संख्या 01 व 02 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है।

।। आ दे श ।।

(18) अतः वादीगण दिलीप कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण जगदीश प्रसाद व अन्य बाबत् निरस्त करने बेचाननामा दिनांक 25.01.2008 व आदेशात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 01, ब्यावर

(19) निर्णय व आदेश आज दिनांक **24.07.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 01, ब्यावर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.29 16:26:27 IST